महालेखाकार (लेखा परीक्षा II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM

सं.का.स्था(हक)/चिकित्सा/2025-26
No. OE (Entt)/Mdl/2025-26/ दिनांक/ Dated:10.03.2026

परिपत्र सं/C I R C U L A R No. 42

विषय: केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा भत्ते) नियमावली, 1944- आश्रित परिवार सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति- वर्ष 2026 के लिए घोषणा संबंध में।
Sub: CS (MA) Rules – 1944 medical reimbursement in respect of dependent family members – declaration for the year 2026- reg-

भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. F 29-113/66/MA दि. 20.05.1967 में निहित अनुदेशों के अनुसार केंद्र सरकारी कर्मचारीगण जो अपने आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा भत्ते) नियमावली के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, से अपेक्षा है की प्रत्येक कलैंडर वर्ष के आरंभ में आश्रितों के आय तथा निवास के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करें। अतः इस कार्यालय के कर्मचारी से अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र वर्ष 2026 दि. 31.03.2026 को या उससे पहले हकदारी अनुभाग में प्रस्तुत करें। भारत सरकार, सवासथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग का.ज्ञा.सं. S/11012/2/2016-CGHS/P दि. 08.11.2016 के अनुसार आश्रितता के लिए आय सीमा, ₹9,000/- के मूल पेंशन पर महंगाई राहत की राशि सहित प्रति माह ₹9,000/- हैं। अनुबद्ध तारीख को या उससे पहले प्राप्त न हुए घोषणाओं पर दावों की प्रतिपूर्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

As per the instructions contained in the Government of India M.O.H. OM No.F 29-113/66/MA dated 20-5-1967, Central Government employees who intend to avail themselves of the medical reimbursement facility under CS (MA) Rules for the treatment of their dependent are required to furnish at the beginning of each calendar year, a declaration regarding the income and residence of dependents. Staff members of this office are therefore requested to furnish the declaration for the year 2026 to Entitlement Section on or before 31-3-2026 in the proforma appended.

Income limit for dependency is ₹9,000/- pm. plus amount of the dearness relief on the basic pension of ₹9,000/- vide G.I. MH & FW dep. of Health OM No. S/11012/2/2016-CGHS/P/ dated 08-11-2016.

Declaration received after the stipulated date will not be considered for reimbursement of claims.

(Approved by Sr. DAG (Admn &AMG I) vide orders dated 6/3/2026)

Digitally signed by
Manju R S
Date: 10-03-2026
15:47:49
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हक
Senior Audit Officer/Entt